



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09072026-274296
CG-DL-E-09072026-274296

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3435]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 1, 2026/आषाढ 10, 1948

No. 3435]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 1, 2026/ASHADHA 10, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जून, 2026

का.आ. 3570(अ).— केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रहण) नियमावली, 2008 के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित महाराष्ट्र राज्य में एनएच-166ई (डिजाइन किमी 00+000 से डिजाइन किमी 47+500) के खंड पर प्रयोक्ता शुल्क लगाने से संबंधित भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3502 (अ), दिनांक 2 अगस्त, 2023 (जो इसके आगे "उक्त अधिसूचना" के रूप में उल्लिखित) में निम्नलिखित संशोधन करती है।

"उक्त अधिसूचना में, तालिका 2 और तालिका 3 में शुल्क प्लाजा के अवस्थान के लिए "शिवानी फाटा गांव" शब्दों के स्थान पर "येवलेवाड़ी गांव" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।"

[फा. सं. आरओ/एमयूएम/पी-1196/2017-18/टोल/ई- 222694]

चेतना नंद सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पणी: मूल अधिसूचना का प्रकाशन भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड-3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्या का.आ. 3502 (अ), दिनांक 2 अगस्त, 2023 के माध्यम से किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th June, 2026

S.O. 3570(E).— In exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and collection) Rules, 2008, the Central Government hereby makes following amendment in the Notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 3502(E), dated 2nd August, 2023 (hereinafter referred to as the “said notification”), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) relating to the levy of user fee on a section of NH-166E (design km 00+000 to design km 47+500) in the state of Maharashtra, namely:-

“In the said notification, location of fee plaza in Table 2 & Table 3, for the words "**Shivani Phata Village**", the words "**Yewlewadi Village**" shall be substituted.”

[F. No. RO/MUM/P-1196/2017-18/Toll/ E-222694]

CHETNA NAND SINGH, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide notification number S.O. 3502(E), dated 2nd August, 2023.